

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी,
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के अधीन माध्यमिक अथवा उससे उच्च स्तर के संचालित अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 75 मदरसों में (सूची संलग्न) Empowering Madarsa Education through virtual teaching and science learning प्रोजेक्ट हेतु प्राक्कलित राशि ₹2,97,58,336/- (दो करोड़ संतानवे लाख अठावन हजार तीन सौ छत्तीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये राशि ₹2,97,58,336/- (दो करोड़ संतानवे लाख अठावन हजार तीन सौ छत्तीस) मात्र का आवंटन एवं निकासी के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के अधीन माध्यमिक अथवा उससे उच्च स्तर के संचालित अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 75 मदरसों में (सूची संलग्न) Empowering Madarsa Education through virtual teaching and science learning प्रोजेक्ट हेतु प्राक्कलित राशि ₹2,97,58,336/- (दो करोड़ संतानवे लाख अठावन हजार तीन सौ छत्तीस) मात्र का विस्तृत प्रस्ताव प्रतिवेदन बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, जिसके आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत इस योजना हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-737, दिनांक-25.03.2025 को रद्द किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के अधीन माध्यमिक अथवा उससे उच्च स्तर के संचालित अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित 75 मदरसों में (सूची संलग्न) Empowering Madarsa Education through virtual teaching and science learning प्रोजेक्ट हेतु प्राक्कलित राशि ₹2,97,58,336/- (दो करोड़ संतानवे लाख अठावन हजार तीन सौ छत्तीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि ₹2,97,58,336/- (दो करोड़ संतानवे लाख अठावन हजार तीन सौ छत्तीस) मात्र का आवंटन एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि बजट मांग संख्या-30 बजट मुख्यशीर्ष-2225-अनु० जातियों अनु० जन जातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-04-अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष-277 शिक्षा, उप शीर्ष-0103-बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना विपत्र कोड-30-2225-04-277-0103 के विषय शीर्ष-21 01 (सामग्री एवं पूर्तियाँ) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. योजना का कार्यान्वयन मौलाना मजहूरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के द्वारा कराया जायेगा। इस योजना के लिए सामग्री की अधिप्राप्ति एवं अधिष्ठापन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

4. इस राशि को सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्रपत्र-46 CFMS के माध्यम से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को PL खाता संख्या-PBBPLA027 Ledger-13232 ,Empowering Madarsa Education through virtual teaching and science learning project हेतु 75 मदरसों में मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा आवश्यकतानुसार व्यय किया जायेगा।

(कृ०पृ०उ०)

5. बोर्ड द्वारा स्वीकृत्यादेश में सन्निहित राशि की निकासी एवं उपयोग वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त योजना बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना की मार्गनिर्देशिका के अनुसार क्रियान्वित किया जायेगा।
7. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि०(2), दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
8. उपर्युक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
9. योजना के क्रियान्वयन में बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-4989/वि० दिनांक-16.05.2013 तथा संबंधित अन्य अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा आपेक्षित होगा।
10. कार्य की प्रगति की समीक्षा संबंधी सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी एवं समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जायेगा।
11. उपर्युक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-अ०सं०क०-05/म०-15/2025...../

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-अ०सं०क०-05/म०-15/2025...../

प्रतिलिपि- सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-अ०सं०क०-05/म०-15/2025...../

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-अ०सं०क०-05/म०-15/2025...../

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-अ०सं०क०-05/म०-15/2025...../

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना को उनके पत्रांक-131 (A) दिनांक-28.02.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

(कृ०पृ०उ०)

ज्ञापांक-अ०सं०क०-05/म०-15/2025...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/बजट शाखा/लेखा शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक-अ०सं०क०-05/म०-15/2025...../

प्रतिलिपि-कुल सचिव, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पटना/प्रबंधनिदेशक, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, पटना/सचिव, सभी 75 मदरसा (मदरसा की सूची संलग्न)/ को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक.....22.04.2025

ज्ञापांक-अ०सं०क०-05/म०-15/2025.....27...../

प्रतिलिपि-आई० टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-निदेशक

22/4